कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 26.06.2026

थाना बिन्दकी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। आलाकत्ल 01 DBBL लाइसेंसी गन, 02 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 24.06.2026 को वादी प्रदीप कुमार पुत्र सन्तोष कुमार उर्फ ब्रम्हादिन निवासी टरुआपुर थाना जाफरगंज जिला फतेहपुर द्वारा थाना बिन्दकी पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 24.06.2026 को समय करीब 09.00 बजे ग्राम सीतापुर थाना बिन्दकी में रामविलास उर्फ रामखेलावन के द्वारा अपने घर के अन्दर अपनी लाइसेन्सी बन्दूक से वादी की बहन व बहनोई को गोली मार दी जिससे दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गये। अस्पताल पहुँचते ही बहनोई अवनीश को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया तथा बहन प्रियंका का इलाज चल रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिन्दकी पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा- 103(1)/109/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः- पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक के कुशल निर्देशन में अपराधियों व वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 26.06.2026 को थाना बिन्दकी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 219/2026 धारा- 103(1)/109/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित मुखबिर की सूचना पर नामजद वांछित अभियुक्त रामविलाश उर्फ रामखेलावन पुत्र स्व0 श्यामलाल उम्र 65 वर्ष निवासी सीतापुर थाना बिन्दकी फतेहपुर को बिन्दकी बस स्टैन्ड से गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल से बरामदगी के आधार पर विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में उक्त अभियोग में धारा 30 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त रामविलाश उर्फ रामखेलावन पुत्र स्व0 श्यामलाल, उम्र 65 वर्ष, निवासी सीतापुर, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मेरे बेटे अवनीश और बहू के साथ मेरा पारिवारिक मनमुटाव रहता था। कुछ दिनों पूर्व मेरी पत्नी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसके इलाज व देखभाल में बेटे और बहू द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा था। दिनांक 24.06.2026 को इसी बात को लेकर हमारे बीच गंभीर वाद-विवाद व लड़ाई-झगड़ा हुआ। इसी घरेलू कलह से क्षुब्ध होकर, अत्यधिक आक्रोश और आवेश में आकर मेरे द्वारा अपनी लाइसेंसी डी.बी.बी.एल. (DBBL) बंदूक से बहू व बेटे पर फायर किया जिसमें बेटे व बहू गंभीर रूप से घायल हो गए, बाद मैं मुझे पता चला कि मेरे बेटे की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। घटना के बाद मैं प्रयुक्त बंदूक को कमरे में छिपाकर कानूनी कार्यवाही के डर से साइकिल लेकर मौके से भाग गया था। आज दिनांक 26.06.2026 को मैं अपने रिश्तेदार के यहां गिरफ्तारी से बचने के लिए जा रहा था कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया।

बरामदगी का विवरण-

1.01 DBBL लाइसेंसी गन (आलाकत्ल)

2.02 खोखा कारतूस 12 बोर

3.01 जिन्दा कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

रामविलाश उर्फ रामखेलावन पुत्र स्व0 श्यामलाल निवासी सीतापुर थाना बिन्दकी फतेहपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री दिनेश कुमार मिश्र थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर।

2. का0 राम कुमार,3.रि0का0 शिवशंकर झा

4. रि0म0का0 प्रियांशी,5. रि0म0का0 दीपिका पटेल